प्रेस विज्ञप्ति

07.02.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय कार्यालय ने मवेशी तस्करी मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 25.86 करोड़ रुपये मूल्य की चल संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। कुर्क की गई संपत्तियों में अनुब्रत मंडल, उनके परिवार के सदस्यों, उनकी संबद्ध फर्मों और कंपनियों तथा बेनामीदारों के नाम पर संचालित 36 बैंक खाते शामिल हैं, जिनमें कुल 25.86 करोड़ रुपये जमा शेष है।

ईडी ने सीबीआई, कोलकाता द्वारा सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के तत्कालीन सेनानायक (कमांडेंट) सतीश कुमार, मोहम्मद इनामुल हक और अन्य के खिलाफ भारत से बांग्लादेश में अवैध मवेशियों की तस्करी के लिए दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला है कि पश्चिम बंगाल में मवेशी तस्करी के गठजोड़ को संरक्षण प्रदान करने के लिए अनुब्रत मंडल को 48.06 करोड़ रुपये के अपराध के आगम (पीओसी) प्राप्त हुए थे। अपराध करने के समय वह बीरभूम जिले के तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) के जिला अध्यक्ष थे और बीरभूम और पश्चिम बंगाल के निकटवर्ती जिले के स्थानीय प्रशासन पर उनका बड़ा नियंत्रण था।

अनुब्रत मंडल अपने अंगरक्षक सहगल हुसैन के माध्यम से इस मामले के मुख्य सरगना मोहम्मद इनामुल हक के साथ लगातार संपर्क में थे। ईडी की जांच से पता चला कि संरक्षण प्रदान करने के लिए मोहम्मद इनामुल हक से अनुब्रत मंडल को प्राप्त नकदी को उसके परिवार के सदस्यों, संबद्ध संस्थाओं, बेनामीदारों और बीरभूम के स्थानीय व्यापारियों के विभिन्न बैंक खातों में जमा करके धनशोधन किया गया, जिन्होंने बाद में बैंकिंग चैनलों के माध्यम से इसे वापस कर दिया।

ईडी ने पहले इस मामले में 17.11.2022 को अनुब्रत मंडल को गिरफ्तार किया था और उन्हें 22 महीने बाद 20.09.2024 को माननीय विशेष अदालत, राउज एवेन्यू कोर्ट, नई दिल्ली द्वारा जमानत दी गई थी। इस मामले में अब तक 4 अभियोजन शिकायतें दर्ज की गई हैं। इस मामले में कुर्की अब कुल 51.13 करोड़ रुपये की हो गई है।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।